



सेना उड़न्योग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बैंगलुरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं . 1860/ Type Approval No. 1860

मद/FOR ITEM: स्मार्ट डिस्प्ले यूनिट (एस डी यू)पार्ट सं. डीपी-डीएसपी-8022-एमओडी3
Smart Display unit (SDU) Pt. No. DP-DSP-8022-MOD3

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स इंडस टेक्साइट प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट # एच9, फोर्थ मैन रोड. एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, सिरुसेरी, ऑफ राजीव गाँधी सालाई (ओएमआर), चेन्नै-603 103, द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित, "स्मार्ट डिस्प्ले यूनिट", पार्ट सं. डीपी-डीएसपी-8022-एमओडी3, को मास्टर आरेखन इंडेक्स सं. आईटी-पीईएफ0420-एचडीडी-एमडीआई-2वी03-पीबी1-00, वर्जन सं. 2वी03, दिनांक 09 मार्च 2015, के अनुसार एचजेटी36 और इंटरमीडियट जेट ट्रेनर (आईजेटी) सेना वायुयानों में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (वायुयान) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ सं. वाईईए0995- एसडीयू-स्पेसिफिकेशन्स-1वी00, वर्जन सं.: 1.00, दिनांक 10 मार्च 2011 और ड्रालिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर दस्तावेज़ सं. पीईएफ0420/क्यूएसी/एसडीयू-क्यूटी/1.20/क्यू02001, वर्जन सं. 1.20, दिनांक 22 सितंबर 2008, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Smart Display Unit" bearing the Pt. No.: DP-DSP-8022-MOD3, designed, developed and manufactured by M/s Indus Teqsite Pvt. Ltd., Plot # H9, Fourth Main Road, SIPCOT IT Park, Siruseri, Off Rajiv Gandhi Salai (OMR), Chennai – 603 103 is hereby approved for production as per Master Drawing Index No.: IT-PEF0420-HDD-MDI-2V03-PB1-00, Version No.2V03, Dt.: 09th March 2015, for use in HJT36 & Intermediate Jet Trainer (IJT) Military Aircraft. It has been tested as per Governing Technical Specification Doc No.: YEA0995-SDU-SPECIFICATIONS-1V00, Version No.: 1.00, Dt.: 10th March 2011 and Qualification Test Procedure Doc No.: PEF0420/QAC/SDU-QT/1.20/Q02001, Version No.: 1.20, Dt.: 22nd Sept. 2008 in co-ordination with RCMA (Aircraft). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2020 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए./TA-1860
दिनांक/Date : 13th May 2015
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

13/05/15

13/5/2015


(डॉ. वी.के.वर्मा/ Dr. V.K.VARMA)
स्थानामन्त्र मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg.Chief Executive (Airworthiness)